

GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
(RAILWAY BOARD) (रेलवे बोर्ड)

No.2018/TG-I/20/P/11/Ladies Quota

New Delhi, Dated: 04.12.2018

**The Principal Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.**

(COMMERCIAL CIRCULAR NO. 67 of 2018)

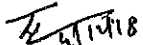
Sub: Earmarking of reserved accommodation in trains for female passengers.

At present, the following reserved accommodation is earmarked for female passengers:

- i. A reservation quota of 6 Sleeper class berths in Mail/Express trains has been earmarked in third bay of the coach for female passengers irrespective of age, travelling alone or in a group of female passengers.
- ii. A reservation quota of 6 berths in 3AC class of Garib Rath Express trains has been earmarked for female passengers irrespective of age, travelling alone or in a group of female passengers.
- iii. In all trains having reserved sleeping accommodation, a combined quota of six lower berths per coach in Sleeper class and 3 lower berths per coach each in AC 3 tier and AC-2 tier classes has been earmarked for Senior Citizens, Female passengers of 45 years of age and above and pregnant women. In case of Rajdhani, Durgam and fully Air Conditioned/Express trains, the number of berths to be earmarked under this quota in 3AC is 4 lower berths per coach as against 3 lower berths per coach in normal Mail/Express trains.

2. The matter has been further examined and it has been decided that a reservation quota of six berths in 3AC class of all Rajdhani/Durgam/fully Air Conditioned trains (having 3AC class) should be earmarked in the third bay for female passengers, irrespective of their age, travelling alone or in a group of female passengers.

3. Necessary instructions may be issued to all concerned accordingly. Wide publicity about this provision should be given through all possible means.


(Sanjay Manocha)
Jt. Director Passenger Marketing
Railway Board

Copy to:

1. CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2. EDV(T),EDFC,DF(C), D(I&P),PPS/FC, OSD/TC, F(C) & V(SS) branches of Railway Board.
3. MD/IRCTC,B 148,11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi - 110001
4. General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5. DG, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं.2018/टीजी-1/20/पी/11/लेडीज़ कोटा

नई दिल्ली, दिनांक: 04.12.2018

प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें

(2018 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 67)

विषय: गाड़ियों में महिला यात्रियों के लिए आरक्षित एकोमोडेशन का निर्धारण।

वर्तमान में, महिला यात्रियों के उपयोग के लिए निम्नलिखित आरक्षित एकोमोडेशन निर्धारित की जाती है:-

- i. मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में अकेली अथवा समूह में यात्रा करने वाली महिला यात्रियों की आयु पर विचार किए बिना स्लीपर श्रेणी के कोच के तीसरी बे में 6 बर्थ का आरक्षण कोटा निर्धारित किया गया है।
 - ii. गरीब रथ एक्सप्रेस गाड़ियों में अकेली अथवा समूह में यात्रा करने वाली महिला यात्रियों की आयु पर विचार किए बिना 3 एसी श्रेणी में 6 बर्थ का आरक्षण कोटा निर्धारित किया गया है।
 - iii. आरक्षित स्लीपिंग एकोमोडेशन वाली सभी गाड़ियों में, वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वाली महिला यात्रियों और गर्भवती महिलाओं के लिए स्लीपर श्रेणी के प्रत्येक कोच में छह निचली बर्थों और एसी-3 टियर एवं एसी-2 टियर श्रेणियों में प्रत्येक कोच में 3 निचली बर्थों का संयुक्त कोटा निर्धारित किया गया है। साधारण मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में प्रत्येक कोच में 3 निचली बर्थों की तुलना में राजधानी, दूरंतो और पूर्णतः वातानुकूलित/एक्सप्रेस गाड़ियों में इस कोटे के अंतर्गत 3 एसी में 4 निचली बर्थ निर्धारित की गई हैं।
2. इस मामले की जांच की गई है और यह विनिश्चय किया गया है कि सभी राजधानी/दूरंतो/पूर्णतः वातानुकूलित गाड़ियों (जिसमें 3एसी श्रेणी हो) में अकेली अथवा समूह में यात्रा करने वाली महिला यात्रियों की आयु पर विचार किए बिना 3 एसी श्रेणी में तीसरी बे में छह बर्थों का आरक्षित कोटा निर्धारित किया जाए।
3. तदनुसार सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं। इस प्रावधान के बारे में हरसंभव साधनों के जरिए व्यापक प्रचार किया जाए।


(संजय मनोचा)

संयुक्त निदेशक यात्री विपणन
रेलवे बोर्ड

-2/-

प्रतिलिपि प्रेषितः

1. सीसीएम/पीएम व सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें।
2. का नि सतर्कता(टी), का नि एफ (सी), निदेशक एफ (सी), निदेशक (आई एंड पी), पीपीएस/एफसी, वि. का. अधिकारी/टी सी, रेलवे बोर्ड की वित्त (सी) व सतर्कता (एस एस) शाखाएं ।
3. प्रबंध निदेशक/आईआरसीटीसी, बी-148, 11वीं मंजिल, स्टैट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली - 110001.
4. महाप्रबंधक/पीआरएस-1, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
5. महानिदेशक, प्रोफेसर/ प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/ वाणिज्य, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वड़ोदरा।
6. प्रिंसिपल, क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भूली-धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्व मध्य रेलवे/मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/ त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, उत्तर पश्चिम रेलवे/उदयपुर।
7. निदेशक, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ- 226011.
8. जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन (एनएफआईआर), 3,चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली ।
9. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
10. सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे आफिसर्स एसोसिएशन (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
12. सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
13. सीटीएम, मेट्रो रेलवे, मेट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71.
